

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2019 का आपराधिक पुनरीक्षण सं. 455

थाना मामला सं.- 718 वर्ष-2016 थाना- बेतिया शहर जिला- पश्चिम चंपारण से उद्धृत

=====

असलम @ मो. असलम अली @ असलम अली, पिता- स्वर्गीय खैराती मियां, निवासी- गाँव-
सिरिसिया मल, थाना- नकदेई, जिला- पूर्वी चंपारण।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य

.....प्रतिवादी/ओं

=====

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता के लिए: श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता

सुश्री वैष्णवी सिंह, अधिवक्ता

श्री ऋत्विक् ठाकुर, अधिवक्ता

श्री प्रांशु, अधिवक्ता

राज्य के अधिवक्ता: श्री उपेंद्र कुमार, सहायक लोक अभियोजक)

=====

अधिनियम/धाराएं/नियम:

एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धाराएं 20, 21, 22, 23, 25, 27(ए) और 29

संदर्भित मामले:

- तोफान सिंह बनाम टी.एन. राज्य, जैसा कि 2021 (4) एस.सी.सी. 1 में रिपोर्ट किया गया है
- दीपकभाई जे. पटेल बनाम गुजरात राज्य, जैसा कि (2019)16 एस.सी.सी. 547 में रिपोर्ट किया गया है
- करण तलवार बनाम तमिलनाडु राज्य, जैसा कि 2024 आई.एन.एस.सी. 1012 में रिपोर्ट किया गया है
- दीपकभाई जे. पटेल बनाम गुजरात राज्य, (2019) 16 एस.सी.सी. 547
- नजमुनिशा बनाम गुजरात राज्य, 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 520
- टी.एन. राज्य बनाम आर. सौंदिरासु, (2023) 6 एससीसी 768
- सीबीआई बनाम आर्यन सिंह, 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 379
- जी.एच. बेघ बनाम मोहम्मद मकबूल माग्रे, (2022) 12 एससीसी 657
- सरन्या बनाम भारती, (2021) 8 एससीसी 583
- ओडिशा राज्य बनाम प्रतिमा मोहंती, 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 1222
- कर्नाटक राज्य बनाम एम.आर. हिरेमठ, (2019) 7 एससीसी 515
- टी.एन. राज्य बनाम एन. सुरेश राजन (2014) 11 एससीसी 709
- अमित कपूर बनाम. रमेश चंदर (2012) 9 एससीसी 460
- पी. विजयन बनाम केरल राज्य, (2010) 2 एससीसी 398
- सज्जन कुमार बनाम सीबीआई, (2010) 9 एससीसी 368
- ओंकार नाथ मिश्रा बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली), (2008) 2 एससीसी 561
- सोमा चक्रवर्ती बनाम राज्य (2007) 5 एससीसी 403
- उड़ीसा राज्य बनाम देबेंद्र नाथ पाढ़ी, (2005) 1 एससीसी 568
- के. रामकृष्ण बनाम बिहार राज्य (2000) 8 एससीसी 547
- मध्य प्रदेश राज्य बनाम मोहनलाल सोनी, (2000) 6 एससीसी 338

- महाराष्ट्र राज्य बनाम सोम नाथ थापा, (1996) 4 एससीसी 659
- भारत संघ बनाम प्रफुल्ल कुमार सामल, (1979) 3 एससीसी 4

याचिका – वह आदेश जिसके खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिसमें सत्र न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के तहत दाखिल डिस्चार्ज के आवेदन को खारिज कर दिया था।

निर्णय – याचिकाकर्ता के खिलाफ एकमात्र सामग्री सह-आरोपी का स्वीकृत बयान है, जो मादक द्रव्य और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज किया गया था। उसके बयान के अनुसार, वर्तमान याचिकाकर्ता ही वह व्यक्ति है जो अपने व्यक्ति के माध्यम से उसे स्मैक की आपूर्ति किया करता था। लेकिन छापेमारी के दौरान याचिकाकर्ता के घर से या उसकी व्यक्तिगत संपत्ति से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के खिलाफ एकमात्र सामग्री पुलिस के समक्ष सह-आरोपी द्वारा दिया गया स्वीकृत बयान है। लेकिन टोफन सिंह केस के निर्णय के बाद यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 67 के तहत सह-आरोपी द्वारा दिया गया स्वीकृत बयान स्वीकार्य नहीं है। मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 41 और 42 के तहत सशक्त अधिकारियों को जो अधिकार दिए गए हैं, वे केवल प्रवेश, तलाशी, जब्ती और बिना वारंट के गिरफ्तारी के उद्देश्य से सीमित हैं, जिनके लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय भी निर्धारित किए गए हैं। मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 53 के तहत सशक्त अधिकारियों को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत "पुलिस अधिकारी" माना जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उनके समक्ष दिया गया कोई भी स्वीकृत बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत अस्वीकार्य होगा और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत आरोपी को दोषी ठहराने के लिए इसे आधार नहीं बनाया जा सकता। (पैरा 18)

आरोपी/याचिकाकर्ता के खिलाफ ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है जिसे उसके मुकदमे के दौरान उसके खिलाफ साबित किया जा सके। (पैरा 20)

याचिका स्वीकृत की जाती है। (पैरा 21)

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

समक्ष: माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार

मौखिक निर्णय

दिनांक: 06-02-2025

वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता द्वारा 2017 के परीक्षण (विचारण) संख्या 46 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, बेतिया, पश्चिम चंपारण द्वारा पारित दिनांक 19.01.2019 के विवादित आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें विद्वान सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय, एन.डी.पी.एस. ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के तहत दायर उन्मोचन के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया है।

2. अभियोजन पक्ष का मामला, सूचक/बिमलेन्दु कुमार, जो पुलिस उपनिरीक्षक हैं, की लिखित रिपोर्ट के अनुसार है कि वह टाउन पुलिस स्टेशन, बेतिया में पदस्थापित थे। 26.12.2016 को, सुबह, उन्हें जानकारी मिली कि एक मोहम्मद साहेब नौरंगबाग में स्मैक बेच रहे हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी को जानकारी दी गई और एक दल का गठन किया गया। सूचक की सूचना पर टीम घर के पास नौरंगबाग पहुंची, घर को घेर लिया और नागेंद्र मिश्रा और प्रभावती देवी की उपस्थिति में दरवाजा खोला गया और एक व्यक्ति ने मोहम्मद साहेब को बुलाया। मोहम्मद साहेब घर से बाहर निकले। उसके घर की तलाशी के लिए उसकी सहमति लेने और तलाशी के नियमों का पालन करने के बाद, छापेमारी दल ने तलाशी

अभियान शुरू किया। तलाशी के दौरान मोहम्मद साहेब की जैकेट से 200 ग्राम स्मैक बरामद किया गया। आगे की पूछताछ में, उन्होंने कहा कि यह असलम था, जिसने उनके आदमी वहाब मुखिया के माध्यम से उन्हें स्मैक की आपूर्ति की थी। बरामद प्रतिबंधित पदार्थ को जब्त कर सील कर दिया गया और जब्ती सूची तैयार की गई।

3. सूचक की उपरोक्त लिखित रिपोर्ट पर, 2016 का बेतिया शहर थाना मामला संख्या 718, याचिकाकर्ता सहित तीन अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ एन.डी.पी.एस अधिनियम की धारा 20,23,25,27 (ए) और 29 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज किया गया था।

4. जाँच के बाद, याचिकाकर्ता के खिलाफ अलग आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया और उसके बाद, उसके खिलाफ संज्ञान लिया गया और आरोप तय करने के चरण में, आरोप मुक्त करने के लिए उसके आवेदन को विवादित आदेश द्वारा विद्वत निचली (विचारण) अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया और बाद में एकमात्र आरोपी/याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप तय किया गया। जो 2019 का सं० 455 दिनांक 15.04.2019 को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 21 (बी), 22 (बी) और 23 (बी) के तहत है।

5. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुना और राज्य के लिए विद्वान सहायक लोकअभियोजक (एपीपी) को सुना।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता निर्दोष है और उसे इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ केवल सामग्री सह-अभियुक्त का इकबालिया बयान है, जो 2021 (4) एस.सी.सी. 1 में रिपोर्ट किए गए तोफान सिंह बनाम टी. एन. राज्य के प्रसिद्ध फैसले को देखते हुए स्वीकार्य नहीं है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता के घर पर पुलिस द्वारा छापेमारी किए जाने के बावजूद उसके कब्जे से कोई बरामदगी नहीं हुई है। इसलिए, याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कानूनी रूप से स्वीकार्य सामग्री नहीं है, यहां तक कि उसके खिलाफ कोई संदेह पैदा करने के लिए

भी नहीं है। इसलिए आरोप तय करने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए, विद्वत विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ता के आरोपमुक्त करने के आवेदन को खारिज करते हुए विवादित आदेश को गलती से पारित कर दिया है।

7. वह निम्नलिखित न्यायिक उदाहरणों का उल्लेख करता है और उन पर निर्भर करता है:

(i) दीपकभाई जे. पटेल बनाम गुजरात राज्य,

(2019) 16 एस. सी. सी. 547

(ii) करण तलवार बनाम तमिलनाडु राज्य

(2024 आईएनएससी 1012, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 3803)

8. हालांकि, राज्य के लिए विद्वान एपीपी पटना उच्च न्यायालय मामले का बचाव करते हैं। 2019 का सं. 455 दिनांक 15.04.2019 को विवादित आदेश प्रस्तुत करते हुए कि इसमें कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं है। उन्होंने साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 का उल्लेख करते हुए कहा कि सह-अभियुक्त का इकबालिया बयान याचिकाकर्ता/अभियुक्त के खिलाफ प्रासंगिक और स्वीकार्य है और इसलिए सह-अभियुक्त के इकबालिया बयान के आधार पर उसके खिलाफ आरोप तय करने के लिए कोई अवैधता नहीं है। अतः वर्तमान याचिका खारिज की जा सकती है।

9. मैंने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर विचार किया और अभिलेख पर सामग्री का अवलोकन किया।

10. यह कानून का स्थापित सिद्धांत है जिसकी शक्ति धारा 482 दंड दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अदालत को आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए, विशेष रूप से, मुकदमे के दौरान बनाए गए आरोप का बहुत संयम और सावधानी के साथ प्रयोग करने की

आवश्यकता है और वह भी दुर्लभतम मामलों में। इस स्तर पर, न्यायालय को केवल इस परीक्षण को लागू करने की आवश्यकता है कि क्या मामले के रिकॉर्ड और उसके साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से लगाए गए निर्विवाद आरोप प्रथम दृष्टया अपराध को स्थापित करते हैं या नहीं। न्यायालय तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब आरोप इतने स्पष्ट रूप से बेतुके या स्वाभाविक रूप से असंभव पाए जाते हैं कि कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति इस तरह के आरोप पर विश्वास नहीं कर सकता है या जहां आपराधिक अपराध के मूल तत्व रिकॉर्ड पर सामग्री के अनुसार संपुष्ट नहीं हैं।

11. यह भी कानून का स्थापित सिद्धांत है कि आरोप तय करने के चरण में, न्यायालय को एक लघु परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। केवल यह पता लगाने के लिए कि क्या यह मानने के लिए कोई आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया था, और यह देखने के लिए कि क्या अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए मामला बनाया है, अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री पर विचार करना आवश्यक है। इस स्तर पर, अभिलेख पर सामग्री के संभावित मूल्य में नहीं जाया जा सकता है, और अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर लाई गई सामग्री को सत्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। अभियोजक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य की सच्चाई, सत्यता और प्रभाव की सावधानीपूर्वक जांच नहीं की जानी चाहिए। न ही अभियुक्त के संभावित बचाव के साथ कोई वजन जोड़ा जाना चाहिए। अदालत को यह पता लगाने के लिए अभिलेख पर सामग्री और दस्तावेजों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि क्या उनसे सामने आने वाले तथ्य उनके अंकित मूल्य पर कथित अपराध का गठन करने वाले सभी तत्वों के अस्तित्व का खुलासा करते हैं।

12. यह भी कानून की स्थिर स्थिति है कि अभिलेख पर सामग्री के आधार पर मजबूत संदेह भी आरोप लगाने के लिए पर्याप्त है।

13. निम्नलिखित न्यायिक उदाहरणों का उल्लेख किया जा सकता है जो आरोप तय करने के संबंध में सिद्धांतों से संबंधित हैं:

(i) टी. एन. राज्य बनाम आर. सौन्दिरासु,

(2023) 6 एस. सी. सी. 768

(ii) सी. बी. आई. बनाम आर्यन सिंह,

2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 379

(iii) जी. एच. बेग बनाम मोहम्मद मकबूल माग्रे,

(2022) 12 एस. सी. सी. 657

(iv) शरण्या बनाम भारथी,

(2021) 8 एस. सी. सी. 583

(v) ओडिशा राज्य बनाम प्रतिमा मोहंती,

2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 1222

(vi) दीपकभाई जे. पटेल बनाम गुजरात राज्य,

(2019) 16 एस. सी. सी. 547

(vii) कर्नाटक राज्य बनाम एम. आर. हीरेमथ,

(2019) 7 एस. सी. सी. 515

(viii) टी. एन. राज्य बनाम एन. सुरेश राजन

(2014) 11 एस. सी. सी. 709

(ix) अमित कपूर बनाम रमेश चंदर

(2012) 9 एससीसी 460

(x) पी. विजयन बनाम केरल राज्य,

(2010) 2 एस. सी. सी. 398

(xi) सज्जन कुमार बनाम सीबीआई,

(2010) 9 एस. सी. सी. 368

(xii) ओंकार नाथ मिश्रा बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र),

(2008) 2 एस. सी. सी. 561

(xiii) सोमा चक्रवर्ती बनाम राज्य

(2007) 5 एस. सी. सी. 403

(xiv) उड़ीसा राज्य बनाम देवेंद्र नाथ पाधी,

(2005) 1 एस. सी. सी. 568

(xv) के. रामकृष्ण बनाम बिहार राज्य

(2000) 8 एस. सी. सी. 547

(xvi) एम. पी. राज्य बनाम मोहनलाल सोनी,

(2000) 6 एस. सी. सी. 338

(xvii) महाराष्ट्र राज्य बनाम सोमनाथ थापा,

(1996) 4 एस. सी. सी. 659

(xviii) भारत संघ बनाम प्रफुल्ल कुमार सामल,

(1979) 3 एस. सी. सी. 4.

14. यह कानून की स्थिर स्थिति भी है कि जिस आधार पर आरोप तय किया जा सकता है, वह ऐसी सामग्री होनी चाहिए जिसका परीक्षण के दौरान साक्ष्य में अनुवाद किया

जा सके। इस तरह के सिद्धांत के पीछे तर्क यह है कि मुकदमे को खड़ा करना एक अग्निपरीक्षा है और इसलिए, ऐसे मामले में जहां ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिसे मुकदमे के चरण में साक्ष्य में अनुवादित किया जा सके, संबंधित व्यक्ति को मुकदमे में खड़ा करना न्याय का गर्भपात (अन्याय) होगा। इसलिए, यदि साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत अस्वीकार्य स्वीकारोक्ति एकमात्र सामग्री है, तो उसके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि इस तरह के स्वीकारोक्ति को मुकदमे के दौरान साक्ष्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।

15. इस संबंध में, कोई भी दीपकभाई जे. पटेल मामले (उपरोक्त) का उल्लेख कर सकता है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मजबूत संदेह भी ऐसी सामग्री पर आधारित होना चाहिए जिसका परीक्षण के चरण में साक्ष्य में अनुवाद किया जा सके। फैसले का प्रासंगिक पैरा इस प्रकार है:

"23. इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार आरोप तय करने के चरण में, न्यायालय से जो करने की अपेक्षा की जाती है, वह केवल डाकघर के रूप में कार्य नहीं करता है। अदालत को वास्तव में अपने सामने मौजूद सामग्री की छान-बीन करनी चाहिए। जाँच की जाने वाली सामग्री वह सामग्री होगी जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा उत्पादित और उस पर निर्भर किया जाता है। जाँच इस मायने में सावधानीपूर्वक नहीं होनी चाहिए कि अदालत एक पूर्ण परीक्षण के बाद पूरे साक्ष्य को प्रस्तुत करने के बाद दलीलें सुनने वाले विचारण न्यायाधीश की जिम्मेदारी संभालती है और सवाल यह नहीं है कि क्या अभियोजन पक्ष ने आरोपी को दोषी ठहराने के लिए मामला बनाया है। बस इतना ही आवश्यक है कि अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि उपलब्ध सामग्रियों के साथ, आरोपी पर मुकदमा चलाने के लिए एक मामला बनाया जाता है। एक मजबूत संदेह पर्याप्त है। हालांकि, कुछ सामग्री पर एक मजबूत

संदेह स्थापित किया जाना चाहिए। सामग्री वैसी होनी चाहिए जो परीक्षण के चरण में साक्ष्य में अनुवाद किया जा सकता है। प्रबल संदेह न्यायाधीश की नैतिक धारणाओं के आधार पर विशुद्ध व्यक्तिपरक संतुष्टि नहीं हो सकती है कि यहाँ एक ऐसा मामला है जहाँ यह संभव है कि अभियुक्त ने अपराध किया हो। दृढ़ संदेह वह संदेह होना चाहिए जो कुछ सामग्री पर आधारित हो जो अदालत के समक्ष खुद को इस प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त मानता है कि आरोपी ने अपराध किया है। "

(जोर दिया गया)

16. इसी तरह का दृष्टिकोण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **करण तलवार मामले** (उपरोक्त) में दीपकभाई जे. पटेल मामले (उपरोक्त) पर भरोसा करते हुए निम्नलिखित रूप में लिया गया है:

"10.ऐसा कोई मामला नहीं है कि अपीलार्थी से प्रतिबंधित पदार्थ की कोई बरामदगी बरामद की गई हो। जहाँ तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 25 को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी के स्वीकारोक्ति कथन का संबंध है, इस तथ्य के संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि यह साक्ष्य में अस्वीकार्य है। इस संदर्भ में राम सिंह मामले में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख करना उचित है। **रामसिंह बनाम केंद्रीय मादक पदार्थ ब्यूरो, (2011) 11 एस. सी. सी. 347 में।** उक्त निर्णय पर, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 पुलिस के समक्ष अभियुक्त के इकबालिया बयान को साक्ष्य में अस्वीकार्य बना देगी और अभियोजन पक्ष द्वारा दोषसिद्धि प्राप्त करने के लिए इसे अभिलेख पर नहीं लाया जा सकता है। संक्षेप में कहा गया है कि सह-अभियुक्त संख्या 1 के

इकबालिया बयान को छोड़कर अपीलार्थी के खिलाफ रिकॉर्ड पर कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है।

.....

12. जैसा कि यहाँ पहले उल्लेख किया गया है, अपीलार्थी के खिलाफ उपलब्ध एकमात्र सामग्री सह-अभियुक्त का स्वीकारोक्ति बयान है। , अभियुक्त सं. 1, जो निस्संदेह विचारण के चरण में और अपीलार्थी के विरुद्ध स्वीकार्य साक्ष्य में परिवर्तित नहीं हो सकता है। जब यह स्थिति है, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि अपीलार्थी को मुकदमे में खड़ा करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है। इस स्थिति के संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि मुकदमे का सामना करना एक अग्निपरीक्षा है और इसलिए, ऐसे मामले में जहां ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिसे मुकदमे के चरण में साक्ष्य में अनुवादित किया जा सके, संबंधित व्यक्ति को मुकदमे का सामना करने के लिए खड़ा करना न्याय की विफलता होगी। ”

(जोर दिया गया)

17. यहां तक कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 पर विद्वान सहायक लोक अभियोजक का संदर्भ और निर्भरता भी अभियोजन पक्ष की मदद नहीं करती है। धारा 30 के सावधानीपूर्वक पढ़ने से पता चलता है कि धारा 30 के अनुसार, केवल सह-अभियुक्त का कानूनी रूप से स्वीकार्य इकबालिया बयान ही अभियुक्त के खिलाफ प्रासंगिक और स्वीकार्य है, क्योंकि सह-अभियुक्त के इकबालिया बयान को अभियुक्त के खिलाफ प्रासंगिक बनाने के लिए पूर्ववर्ती शर्त यह है कि न केवल सह-अभियुक्त के साथ अभियुक्त का संयुक्त मुकदमा होना चाहिए, बल्कि इकबालिया बयान भी ऐसा होना चाहिए जिसे मुकदमे में साबित किया जा सके। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मुकदमे के दौरान अस्वीकार्य स्वीकारोक्ति साबित

नहीं की जा सकती है। इस प्रकार, साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 में निर्दिष्ट स्वीकारोक्ति का अर्थ केवल स्वीकार्य स्वीकारोक्ति है न कि ऐसा स्वीकारोक्ति जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 द्वारा प्रभावित है।

18. हाथ में मामले पर आते हुए, मैं पाता हूँ कि याचिकाकर्ता के खिलाफ एकमात्र सामग्री सह-अभियुक्त, मोहम्मद साहेब का इकबालिया बयान है। मोहम्मद साहेब जैसा कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज है। उनके बयान के अनुसार, यह वर्तमान याचिकाकर्ता है जो उनके आदमी वहाब मुखिया के माध्यम से उन्हें स्मैक की आपूर्ति करता था। लेकिन छापेमारी में याचिकाकर्ता के घर या उसके निजी कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के खिलाफ एकमात्र सामग्री इकबालिया बयान है। जो पुलिस के सामने सह-अभियुक्त का है। लेकिन **तोफान सिंह मामले** (ऊपर) के फैसले के बाद यह कानूनी स्थिति तय हो गई है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज सह-अभियुक्त का इकबालिया बयान स्वीकार्य नहीं है। यहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम 1985 की धारा 67 के साथ पठित एन. डी. पी. एस. अधिनियम 1985 की धारा 41 और 42 के तहत अधिकार प्राप्त अधिकारियों को प्रदान की गई शक्तियां सीमित प्रकृति की हैं जो बिना वारंट के प्रवेश, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी के उद्देश्य से प्रदान की गई हैं। उपरोक्त प्रावधानों के तहत की गई "जांच" से एन. डी. पी. एस. अधिनियम 1985 की धारा 53 के तहत या अन्यथा ऐसा करने के लिए सशक्त अधिकारियों द्वारा जांच या जांच शुरू की जा सकती है। इस प्रकार, जिन अधिकारियों को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53 के तहत शक्तियां दी गई हैं, वे साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अर्थ के भीतर "पुलिस अधिकारी" हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें दिए गए किसी भी इकबालिया बयान को साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित किया जाएगा, और एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।

19. नजमुनिशा बनाम गुजरात राज्य 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस. सी. 520, ए.आई.आर. ऑनलाईन 2024 एस.सी. 306 के हालिया फैसले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से तुफान सिंह मामले पर भरोसा करते हुए कहा है कि तोफान सिंह मामला (रूपर) के अनुसार एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज किए गए बयान को एन. डी. पी. एस. अधिनियम 1985 के तहत किसी आरोपी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए नहीं माना जा सकता है।

20. इस प्रकार, अभियुक्त/याचिकाकर्ता के खिलाफ ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिसे उसके मुकदमे के दौरान उसके खिलाफ साबित किया जा सके। इसलिए, मुझे लगता है कि विद्वान विचारण न्यायालय को अभियुक्त/याचिकाकर्ता के आवेदन को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के तहत आरोपमुक्त करने की अनुमति देनी चाहिए थी। लेकिन विद्वत विचारण न्यायालय ने विवादित आदेश द्वारा याचिकाकर्ता के आरोपमुक्त करने के आवेदन को गलत तरीके से खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कानूनी रूप से स्वीकार्य सामग्री नहीं थी, यहां तक कि संदेह पैदा करने के लिए भी। उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनाने की तो बात ही छोड़िए।

21. इस प्रकार, विवादित आदेश कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है। तदनुसार, वर्तमान याचिका को अनुमति दी जाती है, विवादित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के तहत दायर याचिकाकर्ता के आवेदन को उन्मोचन के लिए अनुमति दी जाती है।

(जितेंद्र कुमार, न्यायमूर्ति)

शोएब/

रविशंकर/

चंदन-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।